चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में एसओजी एवं थाना बहिलपुरवा की पुलिस टीम द्वारा देवागंना घाटी में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के 01 वांछित इनामिया अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली व शेष 02 वांछित इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता का विवरणः-

1. जितेन्द्र उर्फ भोले पुत्र देवराज पटेल निवासी ग्राम कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
2.विवेक कुमार पटेल पुत्र नरेश कुमार पटेल निवासी रैपुरवा माफी चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
3.प्रवीण पटेल पुत्र शिवमूरत निवासी मानपुर थाना भरतकूप हाल पता कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

02 अदद तमंचा 315 बोर
03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक/समयः-

मड़फा पहाड़ हुडा रोड भरतकूप/25.07.2026/16.50 बजे

पुरस्कार राशिः-

50,000/- 50,000/- रूपये की इनाम राशि

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.07.2026 को देवागंना घाटी में छात्रा के साथ किये गये गैंगरेप में पीड़िता से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बहिलपुरवा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक,पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य व पीड़िता द्वारा सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तों की पहचान के आधार पर दिनांक 24.07.2026 को अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र उर्फ भोले पुत्र देवराज पटेल निवासी ग्राम कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.विवेक कुमार पटेल पुत्र नरेश कुमार पटेल निवासी रैपुरवा माफी चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.प्रवीण पटेल पुत्र शिवमूरत निवासी मानपुर थाना भरतकूप हाल पता कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट प्रकाश में आये ।

दिनांक 25.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर मड़फा पहाड़ हुडा रोड भरतकूप में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त 1. जितेन्द्र उर्फ भोले पुत्र देवराज पटेल निवासी ग्राम कल्ला चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 02 अदद तमंचा 315 बोर,03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। शेष प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण की तलाश निरन्तर उनकी टीमों द्वारा की जा रही थी । दिनांक 26.07.2026 को शेष दो अभियुक्तगण 1.विवेक पटेल उर्फ सोनू पुत्र नरेश पटेल निवासी ग्राम रैपुरवा माफी शिवरामपुर कर्वी 2. प्रवीण पटेल पुत्र शिवमूरत पटेल निवासी ग्राम मानपुर मड़फा हाल पता कल्ला शिवरामपुर को मछरिहा तिराहा सड़क से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों की जामा तलाशी से कोई सामान बरामद नही हुआ तथा दोनो ने बताया कि दिनांक 22.7.26 को देवांगना घाटी में एक लड़की लड़का घूमने गये थे तभी

हम दोनो व जितेन्द्र उर्फ भोले पुत्र देवराज निवासी कल्ला शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने मिलकर लडकी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया फिर बहुत घबरा गये। मडैयन होते आगे बढे घबराहट के कारण हम लोग सेमरदहा मे छिप गये फिर हम तीनो आधी रात के बाद जितेन्द्र की मोटर साइकिल में मालिन टंकी, सरैंया होते हुए बोडी पोखरी रैपुरा खोह के रास्ते शिवरामपुर आ गये थे।

पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीमः-

गिरफ्तारी करने वाली एसओजी टीमः-

1.निरीक्षक श्री एमपी त्रिपाठी
2.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
3.हे0का0 जितेन्द्र कुमार
4.हे0का0 नितेश समाधिया
5.का0 आशीष यादव
6.का0 गोलू भार्गव
7.का0 ज्ञानेश मिश्रा
8.का0 रोशन
9.का0 जयनारायण पटेरिया
10.का० रोहित कुमार सिंह
11.का0 राघवेन्द्र सिंह

गिरफ्तार करने वाली थाना बहिलपुरवा टीमः-

1.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थानाध्यक्ष बहिलपुरवा
2.उ0नि0 श्री हारून रशीद खां
3.कां0 मोनू राय
4.कां0 सतीश कुमार यादव
5.का0चालक जितेन्द्र

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा तथा उनकी टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त चीफुर उर्फ अरुण मिश्रा पुत्र हरिश्चन्द्र मिश्रा उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद मिस कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
02 अदद मिस कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0- 126/2015 धारा 323/504/506/386 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0 89/2016 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0सं0- 406/2016 धारा 323/504/506/386/452 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0- 410/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0- 19/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट
6.मु0अ0सं0- 54/2018 धारा 34/323/506/307/452 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
7.मु0अ0सं0 267/2017 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट
8.मु0अ0सं0- 67/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
9.मु0अ0सं0- 57/2019 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
10.मु0अ0सं0- 52/2019 धारा 342/386/308 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
11.मु0अ0सं0- 155/2020 धारा 324/504/506 भादवि थाना मऊ जनपद चित्रकूट
12.मु0अ0सं0- 167/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
13.मु0सि0नं0 05/2022 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट
14.मु0अ0सं0 188/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट
15.मु0अ0सं0- 144/2026 धारा 115(2)/118(1)/351(3)/352 बीएनएस थाना मऊ जनपद चित्रकूट
16.मु0अ0सं0- 274/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मऊ जनपद चित्रकूट
17.मु0अ0सं0- 277/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा
2.मुख्य आरक्षी पवन कुमार

(4).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शिवम उर्फ शिब्बू पुत्र चुनका उर्फ रामशरण पटेल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 02 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री रामकुमार दुबे
2.आरक्षी बब्बू राजा
3.रि0आरक्षी आदित्य कुमार

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र उपाध्याय मय हमराह आरक्षी अमित तिवारी द्वारा अभियुक्त सुनील कोल पुत्र राजाकोल निवासी किहुनिया थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को एक झोले में18 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम ने 04 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(i). उ0नि0 श्री संतोष सिंह मय हमराह आरक्षी संदीप कुमार थाना राजापुर द्वारा मु0अ0सं0 181/2022 धारा 323,452,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त गोरेलाल पुत्र गोपी निवासी पराकों थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह मय हमराह आरक्षी विपिन कुमार व आरक्षी निलेश कुमार द्वारा मु0नं0 458/2018 अ0स0 212/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त सुनील कुमार निषाद पुत्र छोटेलाल निवासी भैरोपागा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा मय हमराह मुख्य आरक्षी पवन तिवारी द्वारा मु0नं0 102/2026 मु0अ0सं0 396/2025 धारा 110,352,351(3) बीएनएस व 3(2)5ए/3(1)द0ध0 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र पंगुल यादव उम्र करीब 34 वर्ष निवासी खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह आरक्षी दीपेश कुमार,आरक्षी हरेन्द्र कुमार व आरक्षी दीपक कुमार द्वारा मु0नं0 26/2019 मु0अ0सं0 18/2018 धारा 174ए भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त गुड्डा सिंह पुत्र सुबेदार सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापत द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.मोनू सोनकर पुत्र धर्मपाल सोनकर निवासी गोसाईपुर पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. राजा पुत्र रामचरन केवट निवासी रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध एवं प्रभारी निरीक्षक पहाडी श्री निशिकान्त राय द्वारा अभियुक्त रमेश उर्फ बोधी पुत्र लखना निवासी चिल्लामाफी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।